न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 302 सन 2018
अनवान :-

1. बिलुराम पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी मटदादु उप तहसील गोरीवाला जिला सिरसा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 05.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 22/46 के खसरा न0 1044 की 8.7890हैक भूमि जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा मन्दरपुरा का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम रामसिह पुत्र बुधसिह दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम बिलुराम पुत्र बुधराम है यही नाम वादी के अन्य दस्तावेजात बिजली पानी के बिल, परिवार कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, पहचान पत्र , शपथ पर कापी में दर्ज है तथा सरंपच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा की तस्दीक के अनुसार भी वादी का नाम बिलुराम पुत्र बुधराम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिबादी तहसीलदार नोहर से वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 22 में रामसिह पुत्र बुधसिह जाति कुम्हार साकिन देह 1/2 हिस्सा सयुक्त खाता मे दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेज की जाव पठन करने पर पाया की प्रार्थी का सही नाम बिलुराम पुत्र बुधराम है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामसिह पुत्र बुधसिह के स्थान पर बिलूराम उर्फ बुधराम संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 22/46 के खसरा न0 1044 की 8.7890हैक भूमि जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा में रामसिह पुत्र बुधसिह जाति कुम्हार साकिन देह 1/2 हिस्सा सयुक्त खाता में दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार बिजली पानी के बिल, परिवार कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, पहचान पत्र , शपथ पर कापी में दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी सही नाम बिलुराम पुत्र बुधराम है एवं तहसीलदार नोहर के द्वारा भी अभिशंषा की गई है की वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामसिह पुत्र बुधसिह के स्थान पर बिलूराम पुत्र बुधराम संशोधन किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 22/46 के खसरा न0 1044 की 8.7890हैक भूमि में वादी का नाम रामसिह पुत्र बुधसिह के स्थान पर रामसिह उर्फ बिलूराम पुत्र बुधसिह उर्फ बुधराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official